झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या– वाकर/कम्प्यू/09/2012–5241 / राँची, दिनांक– 25/09/13

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/ (अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 42 (2) के अधीन प्रावधानित घोषणा पत्र **JVAT 504 P** के निर्गमन हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3B** तथा नियम **42 (12)** के अधीन प्रदत्त शक्ति के अधीन प्रकिया विहित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय e-governance Scheme के अधीन राज्य के बाहर तथा अंदर से मालों के परिवहन हेतु प्रावधिानत ***Road Permit (JVAT 504B)*** तथा ***Road Permit (JVAT 504G)*** के ऑनलाईन निर्गमन की व्यवस्था पूर्व में ही प्रारंभ की जा चुकी है। उसी कम में राज्यान्तर्गत बिकी तथा माल अंतरण (**Stock Transfer**) हेतु ***JVAT 504P*** के ऑनलाईन निर्गमन की योजना दिनांक 26.09.2013 के प्रभाव से प्रारंभ की जाती है।

भविष्य में ऑन लाईन रोड परमिट निर्गमन की प्रकिया "सुगम" (SUGAM) के नाम से जानी जाएगी। राज्यान्तर्गत परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले घोषणा पत्र JVAT 504P को SUGAM (P), राज्य के बाहर से आनेवाले माल के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले घोषणा पत्र JVAT 504G को SUGAM(G) तथा राज्य के बाहर भेजे जाने वाले माल के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले घोषणा पत्र JVAT 504B को SUGAM(B) के रूप में जाना जाएगा।

प्रारंभिक चरण में उक्त (राज्यान्तर्गत बिकी) व्यवस्था ऐच्छिक होगी। दिनांक 17.10.2013 से यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से सभी व्यवसायियों पर लागू होगी। **व्यवसायियों द्वारा पूर्व में Manually निर्गत रोड परमिट (JVAT 504P) दिनांक 17.10.2013 से मान्य (Valid) नही होंगे।**

इस योजना का लाभ उठाने हेतु व्यवसायियों का **अद्यतन ऑनलाईन कर विवरणी दाखिल करना तथा अद्यतन कर का भुगतान होना** आवश्यक है।

2. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 74 तथा उक्त के कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 3B तथा नियम 42 (12) के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में **SUGAM (P)** की ऑनलाईन निर्गमन की प्रकिया निम्नवत् विहित की जाती है:—

- राज्यान्तर्गत रोड परमिट की अर्हता विभागीय अधिसूचना संख्या—एस0ओ0 212 दिनांक 31.03.2006 के अनुसार होगी।
- राज्यान्तर्गत **SUGAM (P)** की ऑनलाईन निर्गमन की सुविधा मात्र बिक्रेता /प्रेषक व्यवसायी द्वारा ली जाएगी।

  ऑनलाईन निर्गमित **SUGAM (P)** की वैधता पूरे राज्य में माल परिवहन हेतु तीन दिनों (72 घंटे)की होगी। एक शहर के अन्तर्गत माल परिवहन हेतु उक्त वैधता एक दिन (24 घंटे) की होगी।

- निबंधित व्यवसायी द्वारा विभागीय वेबसाईट **http://jharkhandcomtax.gov.in** पर उपलब्ध **Dealer Portal** में TIN एवं Password की सहायता से login करेंगे।
- e-services menu के sugam link में click कर **SUGAM (P)** के option को click करेंगे।
- प्रेषक व्यवसायी (Consignor) का नाम (Style of Business सहित), TIN, मोबाईल, ईमेल, पता स्वतः अंकित होगा।
- Add requisition link को click करने के उपरांत JHR-1/JHR-2 का **option** भरेंगे।
- राज्यान्तर्गत प्रथम बिकी हेतु **JHR- 1** के **option** का चयन करना होगा तथा राज्यान्तर्गत द्वितीय चरण (**Subsequent sale**)की बिकी अथवा माल अंतरण (**Stock Transfer**) हेतु **JHR- 2** का चयन करना होगा।
- तदोपरांत प्रेषिती निबंधित व्यवसायी (Consignee) का TIN देने के उपरांत उनका Name, Style of Business, Detailed Address, Mobile No., e-mail address स्वतः अंकित होगा।
- प्रेषिती व्यवसायी (Consignee) के अनिबंधित होने की स्थिति में निम्न **TIN "99999999999"** स्वतः अंकित होगा तथा उनका पूर्ण विवरण यथा:— Name, Style, Detailed Address, Place of delivery भरना होगा।
- "Save & Next" button click करने के उपरांत Unique Road Permit Generate होगा।
- तदोपरांत "Invoice details" के अन्तर्गत संबंधित विवरण में वस्तु के नाम का चयन commodity list से करेंगे। वस्तु के नाम के अतिरिक्त Invoice No./STN No./Challan No., Date, Quantity, Commodity, Price, No. of Packets, Total Amount एवं Purpose का विवरण भरेंगे।

  Invoice की संख्या अधिक होने पर संबंधित विवरण संलग्न excel sheet को download कर व्यवसायी अपने end पर भरकर पुनः upload कर सकेगें।
- राज्यान्तर्गत सुगम सुविधा के लिए निर्गत बीजक (Invoice) की वैधता चार (4) दिनों की होगी।

- तदोपरांत Transport Details- Mode of Transport, Vehicle Registration No. Transporter's Name & Address, Consignment Note & Date, Place एवं Drivers Mobile No. का विवरण भरेंगे। तदोपरान्त "Add" button एवं "Save and Submit" button click करेंगे। "Save and Submit" button click करने के पूर्व व्यवसायी transport details में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं।

- पुनः व्यवसायी को Shipping / Dispatch details – Place of dispatch, address of dispatch and date of dispatch एवं Place of delivery & Address of Delivery भरेंगे।

  Address of Delivery एवं प्रेषिती व्यवसायी (Consignee) का पता एक होने की स्थिति में Place of Delivery स्वतः अंकित होगा। Consingee द्वारा किसी अन्य स्थान पर Delivery लेने की स्थिति में पता अंकित करना होगा।

- उपरोक्त सारी प्रकिया पूरी करने के उपरान्त "Print Permit" button enable हो जाएगा एवं व्यापारी उक्त System Generated **SUGAM (P)** की दो प्रतियाँ निकाल कर माल परिवहन कर सकेंगे।

  अतिशीघ्र System Generated **SUGAM (P)** की संख्या विभागीय सॉफ्टवेयर द्वारा चालक (**Driver**) के मोबाईल पर SMS के माध्यम से स्वतः प्रेषित हो जाएगा।

  वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रेषक व्यवसायी (Consignor) System Generated **SUGAM (P)** की संख्या SMS द्वारा चालक **(Driver)** के मोबाईल पर प्रेषित कर सकते हैं।

  परिवहन निरीक्षण के कम में संबंधित पदाधिकारी चालक के मोबाईल में उपलब्ध System Generated **SUGAM (P)** की संख्या का प्रतिसत्यापन विभागीय पोर्टल से कर सकेंगे। उक्त स्थिति में System Generated **SUGAM (P)** की प्रति रखना अनिवार्य नही होगा।

- उक्त Process flow का विस्तृत विवरण Screen-shot सहित संबंधित User Manual **SUGAM (P)** पर देखा जा सकता है।
- ऐसे ऑनलाईन निर्गत **SUGAM(P)** का सत्यापन विभागीय पोर्टल **http://jharkhandcomtax.gov.in** के माध्यम से किया जा सकेगा।

3. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 42 (11) के अधीन निर्गत विभागीय पत्रांक 632 दिनांक 27.02.2012 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्रों से छूट की प्रकिया से अनुज्ञापत्र JVAT 504P की विमुक्ति को समाप्त किया जाता है। संबंधित व्यवसायी उपरोक्त वर्णित प्रकिया के अधीन **SUGAM (P)** का ऑनलाईन निर्गमन करेंगे।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर संबंधित अधिनियम/नियमावली/सॉफ्टवेयर में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

25.9.13

(मस्त राम मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।